88

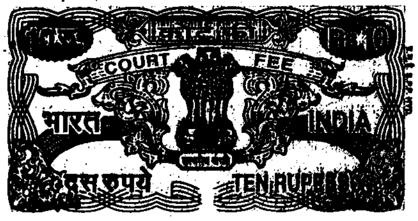

P 1310-I-17

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–दतिया

रवि कुमार पाण्डेय पुत्र स्व. केशव प्रसाद पाण्डेय
निवासी– रेस्टहाउस के पास ग्वालियर रोड दतिया जिला– दतिया (म.प्र.)

––आवेदक

विरूद्ध

प्रदीप पाण्डेय पुत्र स्व केशव प्रसाद पाण्डेय
निवासी ग्वालियर रोड दतिया जिला दतिया (म.प्र.)

–– अनावेदक

न्यायालय तहसीलदार, तहसील दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 1/अ–9/2016–17 में पारित आदेश 08.03.2017 के के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1310–पीबीआर/17 [रविपांडे/प्रदीप पांडे] जिला दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–5–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 8–3–17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के समक्ष अनावेदक के अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किया गया है, और तत्पश्चात अनावेदक के अभिभाषक के उपस्थित होने पर उनकी उपस्थिति दर्ज की गई है, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राहय की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	